



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 205]

नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 13, 2011/चैत्र 23, 1933

No. 205]

NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 13, 2011/CHAITRA 23, 1933

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

{ उपभोक्ता मामले विभाग }

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 अप्रैल, 2011

सा.का.नि. 318(अ).—केन्द्रीय सरकार, विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 (2010 का 1) की धारा 52 की उप-धारा (2) के खण्ड (च) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए विधिक माप विज्ञान (पैकेज में रखी हुई वस्तुएं) नियम, 2011 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम विधिक माप विज्ञान (पैकेज में रखी हुई वस्तुएं) (संशोधन) नियम, 2011 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. विधिक माप विज्ञान (पैकेज में रखी हुई वस्तुएं) नियम, 2011 के नियम 6 के उप-नियम (5) के पश्चात् निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:—

“(6) कोई भी पैकिंग सामग्री या रैपर जिसको विनिर्माता या पैकर द्वारा समाप्त नहीं किया जा सका हो, यथास्थिति स्टैम्प लगाकर या स्टीकर लगाकर या ऑनलाइन मुद्रण द्वारा, इन नियमों के अधीन अपेक्षित सुधार करने के पश्चात् 30 सितम्बर, 2011 तक या पैकिंग सामग्री या रैपर के समाप्त होने की तारीख तक, इसमें से जो पूर्वतर हो, प्रयोग किया जा सकेगा।”

[फा. सं. डब्ल्यू एम-9(6)/2010-पार्ट]

राकेश कक्कड़, विशेष सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र में 9 मार्च, 2011 को सा.का.नि. 202 (अ), तारीख 7 मार्च, 2011 के द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION

(Department of Consumer Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th April, 2011

G.S.R. 318(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (j) of sub-section (2) of Section 52 of the Legal Metrology Act, 2009, (1 of 2010) the Central Government hereby makes the following rules to amend the Legal Metrology (Packaged Commodities) Rules, 2011, namely:—

1. (1) These rules may be called as the Legal Metrology (Packaged Commodities) (Amendment) Rules, 2011.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Legal Metrology (Packaged Commodities) Rules, 2011 in rule 6, after sub-rule (5), the following shall be inserted, namely:—

“(6) Any packaging material or wrapper which could not be exhausted by the manufacturer or packer may be used for packing of the material up to 30th September, 2011 or till such date the packaging material of wrapper is exhausted, whichever is earlier, after making the corrections required under these rules by way of stamping or putting sticker or online printing, as the case may be.”

[F. No. WM-9(6)/2010-Pt.]

RAKESH KACKER, Spl. Secy.

Note : The Principal rules were published in Gazette of India on 9th March, 2011, vide G.S.R. 202 (E), dated 7th March, 2011.